राजस्व लोक अदालत केम्प खेड़ तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 52/2018

वादीगण :— 1 रामसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राणा राजपूत निवासी बोरावास
बनाम
प्रतिवादीगण :— 1. मदनसिंह 2. जबरसिंह 3. सोहनसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राणा राजपूत 4. तहसीलदार पचपदरा जरिये राज0सरकार

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्ध

आदेश दिनांक:—14.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत खेड में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम कलावा के खसरा न0 670/165, 672/165 रकबा क्रमशः 28.00, 6.00 बीघा मे आवेदक का जरिये नामान्तरकरण संख्या 770 दर्ज करते समय अपीलाण्ट का अशुद्व नाम कालूसिंह दर्ज किया गया है । जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार रामसिंह है अतः अपीलाण्ट का सही नाम रामसिंह करने का निवेदन किया है ।

अतः अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत ब्यानकर्ता मदनसिंह, जबरसिंह, सोहनसिंह प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, राशकार्ड, परिचय पत्र व पटवारी खेड /आरआई साजियाली की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकर्ड मे कालूसिंह की जगह रामसिंह नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दरतावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्व नाम कालूसिंह की जगह रामसिंह करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प........खेड़........

Scanned by CamScanner